(2)

संख्या-247/XXXii/2004

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/
मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,देहरादून।
उत्तरांचल ।

राज्य सम्पत्ति विभाग

देहरादून: दिनांक 16 नवम्बर, 2004

विषय : **देहरादून स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन/स्वामित्वाधीन सरकारी रिहाइशी आवासों के किराये का निर्धारण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन/स्वामित्वाधीन समस्त राजकीय आवासों के लिए किराया पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की भाँति लिविंग एरिया को आधार मानते हुए फ्लैट रेन्ट पर संलग्नक-1 के अनुसार निर्धारित करने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- ऐसे अध्यासी जो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की श्रेणी में नही आते है, उनसे निर्धारित फ्लैट रेन्ट रेट के दोगुनी दर पर किराया लिया जायेगा।

3- भारत सरकार के अधिकारी, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन निगमों/उपकमों/निकायों में कार्यरत कार्मिकों को आवास आवंटित होने पर उनसे आवास श्रेणी के अनुसार निर्धारित फ्लैट रेन्ट रेट के दोगुनी की दर पर किराया लिया जायेगा।

4- विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य श्रेणी के ऊपर का आवास लेने की दशा में अध्यासित आवास के फ्लैट रेन्ट रेट के दो गुना किराये के रूप में लिया जायेगा।

5- अध्यासी द्वारा नियमानुसार जलकर, सीवर कर व अन्य संबंधित कर फ्लैट रेन्ट रेट के अतिरिक्त देय होंगे।

6- अनधिकृत प्रविष्टियों (अध्यासन) से वित्तीय हस्तपुस्तिका के मूल नियम-45ए-4 के सहायक नियम 18-ए(5) में निहित निर्देशों/प्राक्रियाओं के अनुसार श्रेणी 1, 2 और 3 के आवासों के लिए रू. 20/-प्रति वर्ग मीटर लिविंग एरिया तथा शेष अन्य श्रेणी के आवासों के रू. 25/-प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रतिमाह क्षतिपूर्ति के रूप में लिया जायेगा।

7- नए आवासों के एम0डी0डी0ए0 से क्रय किये जाने/अन्य सरकारी विभागों अथवा विभाग द्वारा अपने स्तर से निर्मित किये जाने पर तथा अन्य आवास जो विभाग को हस्तान्तरित हुए है/ होने है का विधिवत् हस्तान्तरण पूर्ण होने पर किराया आवासों की श्रेणी के अनुरूप संलग्नक-1 में लीविंग एरिया को दृष्टिगत रखते हुए फ्लैट रेन्ट रेट प्रतिमाह के अनुसार मान्य होगा।

79

I.T
Upload
14.12.18
(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

8- यह शासनादेश राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा अध्यासियों को आवासों के आवंटन/कब्जे की तिथि से लागू माना जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1382/वित्त अनुभाग-3/2004, दिनांक 02नवम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

/

(पी0सी0शर्मा)
सचिव।

संख्याः2417/(1)XXXii/2004,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3- महालेखाकार, उत्तरांचल ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून।
4- समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5- वित्त अधिकारी, उत्तरांचल शासन/संबंधित आहरण वितरण अधिकारी, उत्तरांचल।
6- पुर्नगठन आयुक्त, उत्तरांचल लखनऊ।
7- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल/सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल ।
8- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
9- स्थानिक आयुक्त, उत्तराचंल, नई दिल्ली।
10- निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन/निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
11- उप सचिव(वित्त) विधान सभा, उत्तरांचल/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण, उत्तरांचल।
12- मुख्य कोषाधिकारी, श्री राज्यपाल कार्यालय, राजभवन, उत्तरांचल।
13- निदेशक उच्च शिक्षा हल्द्वानी, नैनीताल/निदेशक माध्यम एवं बेसिक शिक्षा, उत्तरांचल/निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल कैम्प कार्यालय सुद्धोवाला, देहरादून।
14- मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल विद्युत निगम, देहरादून।
15- उपनिदेशक, पर्यटन, निदेशालय पटेलनगर, देहरादून।
16- मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।
17- अधिशासी अभियन्ता, सुरंग एवं विद्युत गृह खण्ड-2, देहरादून।
18- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
19- अधिशासी अभियन्ता, वि0/यां0 लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश।
20- समस्त अनुभाग, उत्तरांचल सचिव/वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।
21- महाप्रबन्धक, गढ़वाल जल संस्थान, रेसकोर्स देहरादून/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम देहरादून एवं अन्य/ वैभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग
देहरादून।
पृ० पत्र सं०-1038 /15-भवन-उत्तरांचल/2004 दि 25-11-2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र लो०नि०वि०, पौड़ी/अल्मोड़ा।
(2) अधीक्षण अभियन्ता 24 वाँ वृत्त/44 वाँ वि०/यां० वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून।
(3) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण वि०/यां० खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून/ऋषिकेश।

सं० - यथोक्त।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1

फाइल में लगायें

पृ०सं० 3947/8 भवन - 2004 दि० 8/12/04
1- प्रति अधि०अभि०/49 वाँ वृत्त, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2- प्रति गार्ड फाइल हेतु

शासनादेश संख्या 2417 / (1)xxxii / 2004, दिनांक 16 नवम्बर 2004 का संलग्नक– I।

देहरादून स्थिति राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन / स्वामित्वाधीन शासकीय रिहाइशी आवासों का मानक किराया विवरण :-

क्र. सं0	आवास की श्रेणी	लिविंग एरिया (वर्ग मीटर में)	निर्धारित फ्लैट रेन्ट (रू.मे)	विवरण
1.	श्रेणी– I	30 तक	20.00	दो आवासों से अधिक के लिए शौचालय की सम्मिलित व्यवस्था होने पर।
	श्रेणी– I	30 तक	30.00	दो आवासों के लिये शौचालय की संयुक्त व्यवस्था होने पर।
	श्रेणी– I	30 तक	50.00	300 वर्ग फुट से कम कुर्सी क्षेत्रफल का आवास होने पर।
	श्रेणी– I	30 तक	70.00	300 वर्ग फुट कुर्सी क्षेत्रफल होने पर।
2	श्रेणी– II	26.5	70.00	350 वर्ग फुट कुर्सी क्षेत्रफल होने पर।
	श्रेणी– II	32 से 40	120.00	
	श्रेणी– II	41 से अधिक	150.00	
3	श्रेणी– III	34.5	120.00	450 वर्ग फुट कुर्सी क्षेत्रफल होने पर।
	श्रेणी– III	44.55	170.00	
	श्रेणी– III	56 से अधिक	210.00	
4	श्रेणी– IV	59 से 75	250.00	
	श्रेणी– IV	76 से 91.5	290.00	
	श्रेणी– IV	106 तक	370.00	
	श्रेणी– IV	106 से अधिक	420.00	

(2)

5	श्रेणी–V	159.5 तक	520.00	
	श्रेणी–V	159.5 से अधिक	600.00	
6	श्रेणी–vi	189.5 से 224.5 तक	700.00	
	श्रेणी–vi	243 से 350	1000.00	
	श्रेणी–vi	350.5 से अधिक	1200.00	

(पी0सी0शर्मा)
सचिव।